

DRAFT RECRUITMENT RULE FOR THE POST OF SURVEYOR

3. ANDAMAN PUBLIC WORKS DEPARTMENT

1.	Name of Post	SURVEYOR
2.	No. of Post	38 (Thirty eight)* (2024) * Subject to variation dependent on work load
3.	Classification	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)
4.	Pay Level	Level-4 (Rs.25500-81100)
5.	Whether selection post or Non-selection post	Not applicable
6.	Age Limit for Direct Recruitment	18 - 33 years for male 18 - 38 years for female Note - I : The upper age is relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note - II : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi sub-division of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Essential: Must have passed Secondary School Examination (10th) from a recognized Institute/Board. Should possess a one-year or two-year National Trade Certificate (NTC) under the Craftsmen Training Scheme (CTS) in Surveyor Trade from a recognized Institute / Industry / Establishment. OR Should possess a National Apprenticeship Certificate (NAC) under the Apprenticeship Training Scheme (ATS) in Surveyor Trade from a recognized Institute / Industry / Establishment. 3. Should qualify in the competitive examination conducted by the department/or any authorized recruitment agency. Desirable: One year experience in the field.

8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees?	Not applicable
9.	Period of probation, if any	02 (Two) Years (Direct recruits would be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority for completion of probation.)
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods	100 % by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation, grade from which promotion/deputation to be made.	Not applicable
12.	If a DPC exists, what is the composition?	The Departmental Confirmation Committee (DCC) for considering confirmation consists of : 1. Superintending Engineer, APWD - Chairman 2. EO to Chief Engineer, APWD, - Member 3. HOD (Civil), DBRAIT - Member
13.	Circumstance in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

सर्वेक्षक पद के लिए भर्ती नियम का मसौदा

अंडमान लोक निर्माण विभाग

1.	<u>पदनाम</u>	सर्वेक्षक
2.	<u>पदों की संख्या</u>	38 (अढ़तीस) * (2024) (कार्यभार के आधार पर भिन्नता संभव है)
3.	<u>वर्गीकरण</u>	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतन मेट्रिक्स-4 (रूपए 25500 से 81100/-)
5.	चयन पद या गैर चयनपद	लागू नहीं होगा
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	पुरुषों के लिए 18 से 33 वर्ष महिलाओं के लिए 18 से 38 वर्ष नोट -I (केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 40 (चालीस) वर्ष तक की रियायत दी जाएगी ा नोट-II :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत मे अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी , न की असम, मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग , हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा पांगी उप-संभाग अंडमान निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए अंतिम तारीख ।
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	अनिवार्य- 1.किसी मान्यता प्राप्त संस्थान /बोर्ड से माध्यमिक विधालय परीक्षा (10वीं कक्षा) उत्तीर्ण की हो । 2.किसी मान्यता प्राप्त संस्थान /उद्द्योग /प्रतिस्थान से सुर्वेयर ट्रेड मे शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सी टी एस) के अंतर्गत एक अथवा दो वर्ष का राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप (एन टी सी) प्रमाणपत्र प्राप्त होनी चाहिए । 3.विभाग /अथवा कईसी प्राधिकृत भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए । <u>वाँछनीय - इसी क्षेत्र मे एक वर्ष का अनुभव</u>

8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे?	लागू नहीं
9.	परिविक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	02 (दो) वर्ष। (सीधी भर्ती किए गए उम्मीदवारों को कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा, जैसा की परिवीक्षा पूरी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो ।
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथक पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत।	100 % सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	लागू नहीं
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	वर्ग 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (डी सी सी) अधीक्षण अभियंता , अ. लो. नि. वि - अध्यक्ष मुख्य अभियंता के अभियंता अधिकारी अ. लो. नि. वि - सदस्य विभाग प्रमुख (सिवल) डीबीआरएआईटी - सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघलोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं।